COMFED

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

फीडर बैलेंसिंग डेयरी कॉम्पलेक्स, फुलवारीशरीफ, पटना–801505
फोन नं०– 0612–2252542, 2252553, मो०– 7260842108
फैक्स नं०– 0612– 2250325, वेबसाईट– www.patnadairy.org

निविदा सूचना

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पटना द्वारा सुधा पशु आहार परिवहन एवं वितरण हेतु निविदा आमंत्रित करती हैं। परिवहन कर्त्ता/संवेदक जो इस कार्य हेतु इच्छुक हैं, कैटल फीड फैक्ट्री, जगदेव पथ, पटना से वैशाली, सारण, पटना, नालन्दा एवं शेखपुरा जिले में स्थित समितियों तक पशु आहार (सुधादान) पहुँचाने हेतु प्रति मैट्रिक टन/दर को प्रपत्र में उल्लेख कर जमा करना होगा।

विस्तृत विवरण **www.patnadairy.org** पर उपलब्ध हैं तथा जानकारी हेतु पटना डेयरी (फीडर बैलेंसिंग डेयरी) फुलवारीशरीफ, पटना के विपणन शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र विपणन शाखा से 200 (दो) सौ रुपये का भुगतान कर दिनांक: 20.08.2018 से 31.08.2018 तक कार्यालय अवधि में प्राप्त कर सकते है।

प्रबन्ध निदेशक

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

फीडर बैलेसिंग डेयरी कम्पलेक्स, पो0–फुलवारीशरीफ, पटना – 801505

फोन न0 – 2252542/ 2252553/ 2251622

भी.पी. : विपणन : परिवहन : निविदा : दिनांक :

सुधादान परिवहन हेतु निविदा सूचना

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पटना के क्षेत्रान्तर्गत पटना, वैशाली, सारण, नालन्दा एवं शेखपुरा जिलों के विभिन्न पथों में कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में सुधादान का परिवहन व वितरण कार्य हेतु वर्ष **सितम्बर, 2018** से **मार्च, 2020** के लिए वार्षिक प्रसंविदा के आधार पर विभिन्न मॉडल की गाड़ियों की आवश्यक्ता है।

क	विषय सूची	विवरण
1	निविदा प्रपत्र प्राप्ति का स्थान	फीडर बैलेंसिंग डेयरी, फुलवारीशरीफ, पटना।
2	निविदा प्रपत्र का मूल्य	200/– रूपये मात्र
3	गाड़ी का प्रकार	ट्रक, टाटा मॉडल 1109, टाटा मॉडल 709
4	निविदा प्रपत्र मिलने की तिथि	20.08.2018 से 31.08.2018 तक कार्यालय कार्यावधि में।
5	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	01.09.2018 को संध्या 5.00 बजे तक विपणन कार्यालय कक्ष में।
6	निविदा खुलने की तिथि	04.09.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न कार्यालय कक्ष में।
7	गाड़ी के मूल दस्तावेजों के अवलोकन व वार्ता की तिथि की सूचना	04.09.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न कार्यालय सभा कक्ष में।

निविदा से संबंधित समस्त सूचना, जानकारी, विवरण, नियम व शर्त निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

प्रबन्ध निदेशक, वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, को बिना कारण बताये एक या एक से अधिक आंशिक अथवा पूर्ण निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

(निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।)

प्रबन्ध निदेशक

कैम्प ....

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,

पोस्ट – फुलवारीशरीफ, पटना – 801 505

पासपोर्ट साईज का

रंगीन दो फोटो

क्रमांक

निविदा प्रपत्र

01.	निविदा दाता का नाम	
02.	निविदा दाता के पिता / पति का नाम	
03.	स्थायी पता :	
04.	वर्तमान पता	
05.	दूरभाष / **मोबाईल** नम्बर	
06.	पैन नम्बर	
07.	आधार नम्बर	
08.	जी.एस.टी. नम्बर	

09.	गाड़ी संबंधी सूचना	(क) गाड़ी निर्माता का नाम........................ (ख) गाड़ी का प्रकार- .... (ग) निबंधन संख्या.................................. (घ) गाडी निर्माण वर्ष .... (ङ) टैक्स टोकन किस अवधि तक जमा की गयी है .... (च) बीमा प्रीमियम किस अवधि तक जमा की गयी है .... (छ) ऑनर बुक में गाडी मालिक का नाम ....
10.	2000/- रु० का डिमांड ड्राफ्ट संख्या व तिथि डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम	
11.	न्यूनतम स्वीकार्य दर सुधादान परिवहन हेतु दर प्रति ट्रीप (टॉल टैक्स सहित)	रु0:

मैं घोषणा करता हूँ कि मैने सुधादान परिवहन निविदा के संबंध में सभी **(कमांक 01 से 17 में अंकित)** शर्तो को पढ़ तथा समझ लिया है एवं सभी शर्तो का पालन करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ ।

साथ ही मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि **मैं** इस संघ तथा संघ के क्षेत्रान्तर्गत संचालित दुग्ध समिति का **कर्मी या पदधारी** नहीं हूँ ।

उपरोक्त सभी कथन मेरे द्वारा अंकित की गई है, जो पूर्णतः सत्य है।

तिथि :

हस्ताक्षर

नोट :- 1. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड, 2. ऑनर बुक, 3. टैक्स टोकन, 4. वैध इन्श्योरेंश, 5. फिटनेश की छाया प्रति सहित दो रंगीन फोटो (पासपोर्ट साईज का) प्रत्येक निविदा में संलग्न करना अनिवार्य है तथा गाड़ी वर्ष 2013 से पूर्व का न हो। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,

पटना डेयरी प्रोजेक्ट फुलवारीशरीफ, पटना – 801 505

सुधादान परिवहन निविदा से संबंधित प्रमुख सूचनाऐं

01) भरे निविदा प्रपत्र के साथ प्रत्येक निविदा के लिए अग्रधन राशि 2000.00 **(दो हजार)** रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करें जो वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के नाम से पटना में भुगतेय होगा। बिना ड्राफ्ट संलग्न निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

02) निविदा प्रपत्र में परिवहन दर **प्रति ट्रीप** टॉल टैक्स सहित 9 एम.टी. वजन के आधार पर अंकित किया जाए। परिवहन दर में लागू टॉल टैक्स सम्मिलित होगा। अर्थात संघ द्वारा टॉल टैक्स अथवा अन्य किसी भी तरह के टैक्स का भुगतान अलग से नहीं किया जाएगा। टाटा 709 का निविदा केवल पटना जिला के मसौढ़ी एवं नौबतपुर कैम्प के लिए ही होगा।

03) स्वीकृत निविदा की लिखित सूचना गाड़ी मालिक को दी जाएगी तदनुरूप संघ द्वारा निर्गत पत्र के आधार पर निर्धारित तिथि को गाड़ी के प्रकार के अनुरूप नीचे अंकित जमानत राशि नगद अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से संघ में जमा करना होगा :-

गाड़ी का प्रकार		जमानत राशि (रू0)	
ट्रक / टाटा 1109 / टाटा 709		35,000.00	पैंतीस हजार रू0 मात्र

04) **प्रत्येक भरे हुए निविदा प्रपत्र के साथ 1)** पासपोर्ट साईज का रंगीन **दो फोटो,**
2) गाड़ी का **ऑनर-बुक, टैक्स टोकन, बीमा, फिटनेश, रोड परमिट का छाया प्रति**
3) पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न किया जाए।
4) आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।

सभी वाहनों का निबंधन संख्या **कमर्शियल** तथा वाहन **का मॉडल वर्ष – 2013 के** बाद का होना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

05) अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा प्रत्येक निविदा के साथ अग्रधन राशि 2000.00 (दो हजार) रूपये का ड्राफ्ट एवं कमांक 4 के अनुरूप सभी कागजात जमा किया जाएगा। निविदा में त्रुटी पाये जाने की स्थिति में निविदादाता का निविदा प्रपत्र रद्द कर दिया जाएगा अर्थात वैसे प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

06) भरे निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक/ कुरियर से संघ मुख्यालय के पते पर दिनांक 01.09.2018 के 05.00 बजे दिन तक कार्यालय पहुँच जाय। डाक या किसी अन्य कारण से विलम्ब से प्राप्त निविदा के लिए संघ जिम्मेवार नहीं होगा ।

या

संघ मुख्यालय के विपणन शाखा में रखे गए निविदा बॉक्स में निविदादाता स्वंय या प्रतिनिधि के द्वारा दिनांक 01.09.18 को 05.00 के बजे अपराह्न तक निविदा डाला जा सकता हैं ।

07) निविदा दिनांक 04.09.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना के सभा कक्ष में निविदादाताओं / प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी।

08) **निविदा प्रपत्र में निविदादाता के नाम तथा गाड़ी नम्बर अवश्य अंकित किया जाये तथा उसकी छाया प्रति संलग्न की जाये। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।**

09) स्वीकृत निविदा की सूचना गाड़ी मालिक को मिलने के उपरान्त जमानत राशि जमा नहीं करने या आवंटित परिवहन कार्य न्यूनतम **पन्द्रह दिनों तक** सम्पादित नहीं करने की स्थिति में अग्रधन राशि संघ द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

10) निविदा अस्वीकृति की स्थिति में संघ द्वारा अग्रधन राशि वापस कर दी जाएगी। जिसपर कोई व्याज देय नहीं होगा।

11) लिफाफा के उपर सुधादान परिवहन की निविदा एवं जिला साफ-साफ बड़े अक्षरों में लिखा जाय।

सुधादान परिवहन हेतु एकरारनामा

(100/- रू0 के नन-जूडिशीयल स्टाम्प एवं पईया पेपर पर)

यह एकरारनामा आज दिनांक .... को वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पटना जिसका कार्यालय, फीडर बैलेसिंग डेयरी, फुलवारीशरीफ, पटना में अवस्थित है, की तरफ से प्रबन्ध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रथम पक्ष के रूप में जिसे आगे " **दुग्ध संघ** " से संबोधित किया जाएगा तथा दूसरा पक्ष श्री .... (गाड़ी मालिक का नाम) पिता .... ग्राम .... पो0 ....थाना .... जिला .... के स्थायी निवासी हैं तथा जिनका पत्राचार का पता .... दूरभाष/ मोबाईल सं. .... जिनके द्वारा वाहन संख्या .... जिला.................. में परिवहन किया जाना है एवं जिसे आगे " **संवेदक** " से संबोधित किया जाएगा के बीच सम्पादित किया जाता है।

दुग्ध संघ द्वारा दिनांक **01.09.2018** से **31.03.2020** की अवधि के लिए गाँव स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में सुरक्षित सुधादान वितरण का कार्य सुधादान फैक्टरी, जगदेव पथ, पटना से प्राप्त करने हेतु नियुक्त संवेदक को कार्यादेश संख्या .... दिनांक .... निर्गत किया गया है जिसे संवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त निर्गत कार्यादेश में अंकित सभी शर्ते एकरारनामा के शर्तो का हिस्सा समझा जाएगा जिसे दोनों पक्ष मानने के लिए सहमत हैं।

दोनों पक्षों द्वारा एकरारनामा में उद्धत क्रमांक **01 से 17** में अंकित सभी शर्तो को पूर्णरूप से पढ़कर, समझकर एवं बिना किसी दवाब के उपरोक्त अंकित तिथि को नीचे अंकित साक्षी की उपस्थिति में अनुबंध किया गया -

हस्ताक्षर
(दुग्ध संघ के प्रतिनिधि)

हस्ताक्षर
(संवेदक)

उपस्थिति में (पूर्ण पता सहित)

01.

02.

उपस्थिति में (पूर्ण पता सहित)

01.

02.

एकरारनामा की शर्ते

01) यह एकरारनामा दिनांक **01.09.2018** से **31.03.2020** अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। एकरारनामा अवधि की समाप्ति के पश्चात अधिकतम तीन माह के लिए अवधि विस्तार का अधिकार " **दुग्ध संघ** " को होगा जिसे "संवेदक" मानने के लिए बाध्य होंगे। अवधि विस्तार के दौरान सभी शर्ते पूर्ववत लागू रहेंगी।

02) एकरारनामा अवधि के दौरान एकरारनामा समाप्त करने हेतु सामान्य परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा कम से कम सात दिन पूर्व सूचना संवेदक को दिया जाएगा। जबकि संवेदक को उक्त स्थिति में न्युनतम **तीस दिन पूर्व** लिखित सूचना दुग्ध संघ को दिया जाना आवश्यक होगा।

अत्यन्त ही विशेष परिस्थिति जिसमें दुग्ध संघ को ऐसा महसूस होता है कि संवेदक के जारी रहने से दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान होगी तो वैसी परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी समय लिखित सूचना देकर एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। इस तरह की सूचना पत्र निर्गत की तिथि से ही संवेदक को प्राप्त माना / समझा जाएगा।

03) एकरारनामा के पूर्व दुग्ध संघ द्वारा निर्गत कार्यादेश के अनुसार एकरारनामा के दिए गए शर्तो के परिचालन के एवज में संवेदक द्वारा जमानत राशि 35000.00 रू0 दुग्ध संघ में जमा किया जाएगा जिसपर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

एकरारनामा की समाप्ति के पश्चात (अवधि समाप्ति अथवा संवेदक द्वारा वैध नोटिस दिए जाने के कारण) संवेदक द्वारा जिस जिले में कार्य किया गया है वहाँ के ग्रुपलीडर / प्रभारी से **"अनापत्ति प्रमाण पत्र"** पर अनुशंसित कराकर प्रस्तुत करने के पश्चात सभी वसूलनीय राशि की कटौती के पश्चात (यदि कोई हो तो) जमानत राशि का भुगतान संघ द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एकरारनामा में उद्धत शर्तो के आधार पर जमानत राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा।

04) सुधादान को समिति स्तर तक सुरक्षित वितरित करना संवेदक की जिम्मेवारी होगी। किसी प्रकार के क्षति होने पर उनके विपत्र से वसूलनीय होगा।

05) परिवहन संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि श्रम नियमों का अनुपालन करते हुए गाड़ी पर न्युनतम मिडिल पास व्यवहार कुशल एवं गाड़ी परिचालन संबंधी अनुज्ञा पत्रधारी चालक के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कुशल खलासी अनलोडिंग हेतु अपने खर्च पर रखेंगे। गाड़ी के साथ गाड़ी का ऑनर बुक, बीमा संबंधी कागजात तथा परिवहन नियमावली के तहत सभी कागजातों को रखेंगे।

06) संवेदक की गाड़ी पर कार्यरत चालक, खलासी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा परिवहन के दौरान फैक्टरी या समितियों में किसी प्रकार का **सुधादान बोड़ा की हेरा-फेरी** करते हुए पकड़े जाने पर संवेदक को उसके कीमत से अतिरिक्त संघ को **5,000.00 (पॉच हजार)** रू0 तक का आर्थिक दण्ड देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

07) कमांक - 6 में अंकित कटौती के अतिरिक्त संघ से प्राप्त सुधादान के खोने, चोरी करते हुए पकड़े जाने तथा समिति को आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा आपूर्ति किये गये सामान की कीमत से 20 प्रतिशत अधिक राशि वसूली जाएगी।

08) संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि चालक / खलासी किसी ऐसे कारनामें में शामिल अथवा सम्बद्व होते हैं जिससे दुग्ध संघ की छवि खराब होती है वैसी स्थिति में संघ द्वारा परिवहन एकरारनामा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा तथा जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा।

09) दुग्ध संघ द्वारा संवेदक को अपने जिला के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अन्य जिलों में स्पेशल ट्रीप लगाने हेतु निर्देश दिया जा सकता है जिसका परिपालन संवेदक की बाध्यता होगी। इस कार्य हेतु संवेदक को उस जिले के लिए स्वीकृत दर के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

10) संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संवेदक द्वारा परिवहन कार्य में संलग्न चालक/ खलासी को परिचय-पत्र निर्गत करना होगा, जिसकी प्रति पूर्ण बायोडाटा सहित परिवहन कार्य प्रारम्भ करने के एक सप्ताह के अंदर संघ में जमा करना होगा। जब भी संवेदक द्वारा चालक / खलासी परिवर्तित किया जाएगा तो उक्त सभी सूचना पुनः संघ में समर्पित करना होगा।

11) एकरारनामा अवधि के दौरान संवेदक द्वारा कार्यादेश में अंकित गाड़ी द्वारा ही सुधादान का परिवहन कार्य करेंगे। **बिना पहचान पत्र धारण किए ''चालक तथा खलासी " का फैक्टरी में प्रवेश वर्जित रहेगा** । इसके कारण हुई किसी क्षति की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।

12) एकरारनामा अवधि के दौरान अगर परिवहन संवेदक सुधादान परिवहन हेतु गाड़ी भेजने में असफल होते हैं तो वैसी स्थिति में संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी एवं खर्च पर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। उक्त व्यवस्था के तहत गाड़ी मालिक को संघ द्वारा किए गए वास्तविक भाड़ा तथा उस अवधि में विभिन्न कारणों से दुग्ध संघ को हुई आर्थिक क्षति की कटौती परिवहन संवेदक से की जाएगी। क्षति का पूर्ण समायोजन विपत्र से नहीं होने की स्थिति में संघ में जमा जमानत राशि से कटौती की जाएगी।

13) दुग्ध संघ द्वारा परिवहन भाड़ा के भुगतान हेतु संवेदक को दो प्रति में नीचे अंकित तिथियों को विपत्र प्रस्तुत करना होगा।

अवधि	विपत्र जमा करने की तिथि
01 से 15 तारीख	17 तारीख तक
16 से माह के अंतिम तिथि तक	02 तारीख तक

परिवहन संवेदक उक्त निर्धारित तिथि को उस कैम्प के ग्रुपलीडर / प्रभारी से विपत्र के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे। परिवहन संवेदक के उक्त निर्धारित तिथि को विपत्र प्रस्तुतीकरण के दस दिनों के अन्दर दुग्ध संघ द्वारा बैंक के माध्यम से आवश्यक कटौती (समिति दावा, क्षति, आयकर इत्यादि) के पश्चात भुगतान किया जाएगा। अतः संवेदक संघ से बैंक एवं शाखा का नाम प्राप्त कर अपनी सुविधा के अनुसार उक्त शाखाओं में अपना खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे।

परिवहन संवेदक को किसी भी तरह का अग्रिम देय नहीं होगा।

14) जिला प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान, चुनाव कार्य में लगाने हेतु परिवहन गाड़ी की माँग की जाती है। वैसी स्थिति में संवेदक की बाध्यता होगी कि दुग्ध संघ के लिखित निर्देश पर चालक सहित गाड़ी जिला प्रशासन को उपलब्ध करायें। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार देय भुगतान की प्राप्ति संवेदक द्वारा सीधे प्राप्त की जाएगी।

15) परिवहन कार्य हेतु लगाए जाने वाले वाहन **का मॉडल 2013 के पूर्व** का नहीं होना चाहिए।

16) यदि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो वैसी स्थिति में वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पटना (दुग्ध संघ) किसी भी प्रकार के दावा या क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। साथ ही, संघ उक्त स्थिति में चालक/ खलासी या अन्य किसी व्यक्ति के दूर्घटना की अवस्था में किसी भी प्रकार की भुगतान नहीं करेगी चाहे यह दावा मोटर वाहन एक्ट अधिनियम, वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट या अन्य कोई प्रकार का दावा के लिए किया जाए।

17) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर **प्रबन्ध निदेशक**, वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पटना का **निर्णय अन्तिम एवं मान्य** होगा। किसी भी न्यायिक कार्रवाई का क्षेत्र पटना होगा।

बन्ध – पत्र

हमलोग

1. श्री .... पिता श्री ....

उम्र .... पूरा पता ....

.... व्यवसाय ....

2. श्री .... पिता श्री ....

उम्र .... पूरा पता ....

.... व्यवसाय ....

अपने आपको श्री .... पूरा पता .... जिन्हें अब आगे परिवहन संवेदक कहा जाएगा, का जमानतदार घोषित करते है तथा यह जमानत देते हैं कि परिवहन संवेदक द्वारा दिनांक .... को वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 जिसे अब आगे **" दुग्ध संघ "** कहा जायेगा के साथ सम्पादित एकरारनामा के अनुरूप सभी शर्तो का पालन करते हुए परिवहन कार्य सम्पादित करेंगे। हम यह भी जमानत देते हैं कि अगर परिवहन संवेदक द्वारा किसी प्रकार गबन अथवा एकरारनामा की शर्तो का उल्लंघन के कारण कोई क्षति होगी तो हम दोनों दस-दस हजार रुपया की राशि तक की क्षतिपूर्ति स्वरूप संघ को भुगतान करेंगे। हम यह भी सहमति देते हैं कि संघ उपरोक्त जमानत की राशि किसी अन्य श्रोत अथवा परिवहन संवेदक से वसूली करने के बजाए हमसे वसूली कर सकती है। हमसे की गई उक्त राशि की वसुली इस बात से प्रभावित नहीं होगी कि संघ ने परिवहन संवेदक से वसूली हेतु प्रयास किया है अथवा नहीं। हम यह भी सहमति देते हैं कि परिवहन संवेदक से एकरानामा की शर्तो में संशोधन/ परिवर्तन होने पर हम दोनों जमानती ऋण की बाध्यता से विमुक्त नहीं होते हैं। हम लोगों ने दुग्ध संघ और परिवहन संवेदक के बीच सम्पादित एकरारनामा को पढ़कर समझ लिया है। हम दोनों का दायित्व परिवहन संवेदक के प्रति व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से होगा।

जमानतदारों द्वारा हस्ताक्षरित :

01) नाम .... हस्ताक्षर ....

02) नाम .... हस्ताक्षर ....

गवाह :

01) नाम .... हस्ताक्षर ....

02) नाम .... हस्ताक्षर ....

नोट :- प्रत्येक जमानतदार तथा गवाह का फोटोयुक्त पहचान-पत्र निर्वाचन या पेन कार्ड की छाया प्रति चिपकाना / संलग्न करना अनिवार्य है।